Received No. 631
Date 13/03/2026
Signature [signature]

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.
जिला–चौकी मोहला मानपुर (छ.ग.)

विषयः पूर्व में थ्री फेस लाईन को पुनः थ्री फेस करने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम–बहोरनभेडी वॉर्ड क्र. 3 में चार साल पूर्व पीपल की टहनी रात में अचानक पोल के ऊपर गिरने से थ्री फेज लाईन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे विभाग द्वारा सुधार तो किया गया लेकिन पोल में चार तारों की जगह केवल तीन तार ही लगाया गया। उक्त लाईन से छः घरों में आपूर्ति होती है एवं वोल्टेज की दिक्कत होने से घरों के उपकरण भी खराब हो रहें है।

अतः आप से निवेदन है कि उक्त पोल में थ्री फेज लाईन कनेक्शन को पूर्व की भांति पुनः स्थापित कराने की कृपा करे।

धन्यवाद

भवदीय
Pushpa [signature]
वॉर्ड क्र. 3 वासी पुष्पा मंडावी
ग्राम बहोरनभेड़ी

दिनांकः 13/03/2026
स्थानः बहोरनभेड़ी वॉर्ड क्र. 3 पोस्टः छाछनपाहरी
जिला– जिला–चौकी मोहला मानपुर (छ.ग.)
मोबाईल न. 79990–66246, 88274-16264

प्रतिलिपिः

मान. विद्युत लोकपाल
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर
रायपुर (छ.ग.)

आग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यालय विद्युत लोकपाल

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक भवन परिसर, सिंचाई कॉलोनी
शाति नगर, रायपुर (दूरभाष) क्र. 0771–4089285, e-mall ombudsmanoffice12@gmall.com

क्रमांक/02/वि.लो/2026/ 535 रायपुर,दिनांक 13/03/2026

प्रति,

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
भूतल, पर्रीनाला, 132 के.व्ही सबस्टेशन के बाजू में
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, CSPDCL
जिला–राजनांदगांव (छ.ग)

विषयः पूर्व में थ्री फेस लाईन को पुनः थ्री फेस करने बाबत्।

----000----

उपरोक्त विषयांकित शिकायत पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी और प्रेषित है। शिकायत पत्र की मूल प्रति पत्र के साथ संलग्न।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(एस.के सोनी)
विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपिः
कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.
जिला–चौकी मोहला मानपुर (छ.ग.)

अग्रिम कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

C-PDCL कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा)संभाग
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरदायी कम्पनी)
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

छ.स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमि. मोहला

क्र./कार्य.अभि./ वि.उ.शि.नि.फो. /108 मोहला,दिनांक- 20/04/2026

प्रति,

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम राजनांदगावं।

विषयः- पूर्व में थ्री फेस लाईन को पुनः थ्री फेस करने बाबत्।

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्रं. 28 दिनांक 23.03.2026।
2. श्रीमति पुष्पा मंडावी का पत्र क्रं. 631 दिनांक 13.03.2026 ग्राम बोहरनभेडी।

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार लेख हैं कि श्री मति पुष्पा मंडावी वार्ड क्रंमाक 03 ग्राम बहोरनभेड़ी के द्वारा एल.टी.लाईन में पेड़ गिरने के कारण थ्री फेस लाईन क्षतिग्रस्त होने पर चार तार के जगह तीन तार लगाया जाने की शिकायत की गई है। उक्त शिकायत के निराकरण संबंध में दिनांक 09.04.2026 को निम्नदाए लाईन के **1Ø3w** को **3Ø5w** कर विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दिया गया है।

अतः शिकायतकर्ता के शिकायत की निराकरण कार्यवाही प्रतिवेदन सादर प्रस्तुत हैं।

एकेरामटेके(92315216)
कार्यपालन अभियंता(सं./सं.)संभाग
छ स्टे पा डि कं लिमि मोहला

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन, राजनांदगांव

क्रमांक : विउशिनिफो/ /39

राजनांदगांव दिनांक : 22 /04/2026

प्रति,

पुष्पा मंडावी वार्ड क्रमांक 03
बहोरनभेड़ी, जिला-मोहला-मानपुर-चौकी।

विषय : **विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में दर्ज ऑफलाईन शिकायत के संबंध में ।**
संदर्भ : आपका शिकायत पत्र दिनांक 13.03.2026.

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम के समक्ष शिकायत की गई है कि पूर्व में थ्री फेस लाईन जो कि क्षतिग्रस्त हो गई थी उसे विभाग द्वारा सुधार तो किया गया परंतु पोल लगे चार तारो की जगह में तीन तार लगाया गया।

तत्संबंध में कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग, छ.स्टे.पा.डि.कं.लिमि., मोहला ने अपने पत्र क्रमांक 108 दिनांक 20.04.2026 के माध्यम से अवगत कराया कि आपके द्वारा की गई शिकायत का निराकरण दिनांक 09.04.2026 को कर दिया गया है जिसमें निम्नदाब लाईन में 1Ph3W को बदलकर 3Ph5W कर विद्युत आपूर्ति सूचारू कर दी गई है।

प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि छ.स्टे.पा.डि.क.लिमि. द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायत को संज्ञान लेते हुए उक्त शिकायत का निराकरण दिनांक 09.04.2026 को कर दिया गया है। अतः आपका प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

(ए0के0गौराहा)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम राजनांदगांव

प्रतिलिपि :

अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम रायपुर।
- सूचनार्थ